रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 1974/आषाढ़ 24, 1896
No. 186] NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 1974/ASADHA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 15th July 1974

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matter specified in clause (c) of sub-section (2) thereof shall, in relation to wheat, be exercisable also by—

(1) the Collectors of the districts in the State of Maharashtra, within their respective jurisdiction, and

(2) the Controller of Rationing, Bombay, within the Bombay Rationing Area as specified in Schedule A to the Maharashtra Foodgrains Rationing (Second) Order, 1966, subject to such guidelines as the Government of Maharashtra may, with the previous approval of the Central Government, lay down from time to time.

[No. 1(MAHA)(2)/74-WT(I)-15]

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1974

सा० का० नि० 322 (अ).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश करती है कि उक्त

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा उसकी उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट विषय के लिए गेहूं के सम्बन्ध में उपबन्ध करने के लिए उसको प्रदत्त शक्तियां, ऐसे मार्गदर्शनों के अधीन रहते हुए, जिसे महाराष्ट्र की सरकार समय-समय पर केन्द्रीय सरकार का पूर्वतन अनुमोदन ले कर अधिकथित करे, निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी :—

(1) अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर महाराष्ट्र राज्य के जिलों के कलेक्टर, और

(2) महाराष्ट्र खाद्य राशन (द्वितीय) आदेश, 1966 की अनुसूची के में विनिर्दिष्ट मुम्बई राशन क्षेत्र के भीतर राशन नियंत्रक, मुम्बई ।

[सं० 1 (महा) (2)/74—डब्ल्यू० टी० (1)—15]

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matter specified in clause (c) of sub-section (2) thereof shall, in relation to wheat in the State of Orissa, be exercisable also by the Collectors of the districts in that State and by the Controller of Supplies of the Government of Orissa, within their respective jurisdiction, subject to such guidelines as the Government of Orissa may, with the previous approval of the Central Government, lay down from time to time.

[No. 5(ORS)(1)/73-WT(I)-16]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

सा० का० नि० 323 (**अ**).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा उसकी उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट विषय के लिए उड़ीसा राज्य में गेहूं के सम्बन्ध में उपबन्ध करने के लिए प्रदत्त शक्तियां ऐसे मार्गदर्शनों के अधीन रहते हुए जो कि उड़ीसा राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार का पूर्वतन अनुमोदन ले कर समय-समय पर अधिकथित किए जाएं, उस राज्य के जिलों के कलेक्टरों और उड़ीसा सरकार के पूर्ति नियंत्रक द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

[सं० 5(उड़ीसा)(1)/73—डब्ल्यू० टी० (1)—16]

एल० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974